आपराधिक कानूनक सुधार क' लेल समितिक विरोध कैल जाय

अखन नहीं! ई रास्ता नहीं अछि !! अपना सब लोकनिक बिना नहीं।

एखन सम्पूर्ण देश कोविद महामारी क' तहत पुनर्व्यवस्थित भ' रहल अछि आ 40, 000 + मौतक आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट कैल गेल अछि| संविधानक तहत तीनटा सब स' महत्वपूर्ण ACTS , जेकि भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) आ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA), क' अंदर आबैय अछि, क' बदलैय क' लेल केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA), 4 मई 2020 क' 5 सदस्यीय समितिक गठन केलैथ| अहि कानून क' दोबारा लागू करैय क' ई प्रक्रिया क' खुलल, समावेशी आ पारदर्शी होबक चाहि छलैथ, जेकि गुप्त, बहिष्कृत आ अपारदर्शी अछि। अहि देशक नागरिक सभक रूप में, अपना लोकनि क' सुधारक नाम पर अहि कानून सभक एकतरफा बदलैय के अहि प्रयास क' विरोध कैल जाय चाहि|

- आपराधिक कानूनक सुधार लेल बनौल समिति क' प्रतिनिधित्व पर आधारित होबाक चाहि - वर्तमान समिति में दिल्ली आ मुंबई में स्थित 5 पुरुष छैथ- कोनो महिला, कोनो दलित, कोनो आदिवासी, कोनो ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुयल व्यक्ति, कोनो खानाबदोश आ गैर-अधिसूचित जनजाति, कोनो विकलांग व्यक्ति नहीं और कोनो धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं छथि। एहन समिति, जे ओहि लोकेन क', जे पुलिसक उच्च-योग्यता, भ्रष्टाचार आ क्रूरता क' खामियाजा भुगतै छैथ, हुनका सब क' शामिल नहीं करैत छैथ, , आपराधिक कानून "सुधार" क' प्रभारी कोना भ' सकैत छैथ?
- आपराधिक कानून कोविद क' कवर करैय क" तहत नहीं बदलल जा सकैत थिक - एम एच ए, महामारी क' दौरान एकटा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनक बीच में अहि अधिसूचना क' किया पारित केलैथ? अहि मूलभूत कानून सभक में महत्वपूर्ण बदलाव किया कैल जा रहल अछि, जखन अदालत सब में कामकाज मुश्किल थिक, सार्वजनिक बैठक सब क' अनुमति नहीं थिक, वकील लोकनिक आ नागरिक सभक क' आजीविका क' अभूतपूर्व चुनौतिय सभक सामना करैय पड़ रहल थिक, बार एसोसिएशन काज नहीं क' सकैत थिक आ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अभूतपूर्व तनाव में छैथ|
- आपराधिक कानून सभक सावधानीपूर्वक विवेचना लेल पर्याप्त समय क' आवश्यकता होऐत अछि - समिति क' भारतक संविधान क; तीनटा सब स' महत्वपूर्ण कानून सभक

जीर्णोद्धार करैय क' काज सौंपल गेल अछि, जे कि केवल 6 महीना में 150 वर्षक स्थापित न्यायशास्त्र पर आधारित अछि। गैर-कोविदो क' समय में , ई असंभव थिक आ कोनो प्रकार क' वास्तविक परामर्श लेल बहुत जल्दी अछि। कोविद क' समय में, अहि तरह क' समयावधि ई चिंता क' बढ़ा दैय छथि जे कि ई प्रक्रिया केवल सद्धांतवादिता वाला थिक आ रिपोर्ट क' निष्कर्ष पहिले स' तय क' लेल गेल अछि|

- सार्वजनिक परामर्श क' निक जेका विज्ञापित, समावेशी आ पारदर्शी होबाक चाहि - समिति क' सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया नहीं त' सार्वजनिक थिक ना त' परामर्शी अछि| दिल्ली में केवल चुनिंदा वकील लोकेन क' समिति द्वारा ऑनलाइन परामर्श में भाग लेबैय लेल आमंत्रित कैल गेल छैन। हालांकि दोसर सब "विशेषज्ञ" तकनीकी रूप स' अपन पहल पर भाग लेबैय क' विकल्प चुन सकैत छैथ, लेकिन समिति द्वारा अहि प्रक्रिया क' बारे में पैघ पैमाने पर जनता क' सूचित करैय आ व्यापक भागीदारी क' कोनो कोशिश नहीं कैल गेल अछि। सब नोटिस, प्रश्नावली आ भागीदारी क' लेल कॉल केवल अंग्रेजी में जारी कैल गेल अछि! ई समिति क' लेल संदर्भक शर्त सभक गोपनीयता में निहित थिक, आ अखन तक एकरा सार्वजनिक नहीं कैल गेल अछि। जाही प्रश्न सब पर विचार-विमर्श कैल जैत, ओ प्रतिक्रिया सभक प्रस्तुत करैय क' समय सीमा स' केवल 28 दिन पहले जारी कैल जायत अछि, आ प्रतिक्रिया सब केवल ऑनलाइन पंजीकरण क' बाद भेजल जा सकैय अछि|
- कानून सुधार मजबूत डेटा आ स्पष्ट उद्देश्य सब पर आधारित होबाक चाहि - सार्वजनिक परामर्श आ हितधारक लोकनि सब क' साथ कार्यशाला सब क' बाद स्थिति पत्र सभक एक श्रृंखला कानून में सुधार क' कोनो भी सुधार स' पहिले होबाक चाहि। अतीत में, विधि आयोग आ अन्य स्वायत्त आयोग सब मौजूदा कानून सब में बदलाव लेल सिफारिश करैय हेतु अहि तरह क' व्यापक अभ्यास कैल गेल अछि। आब ओहि प्रक्रिया क' किया छोड़ देल गेल अछि?

अपराध आ सजा अपना लोकनि सब क' प्रभावित करैत थिक!

अपना सभक मिल क' कहबाक चाहि: ई शांति क' समय अछि, त्रास क' समय नहीं! शाम समिति क' अस्वीकार कैल जाय - एकटा वास्तविक सार्वजनिक परामर्श क' मांग कैल जाय|

सार्वजनिक हित में जारी: आपराधिक कानून सुधार समिति क' खिलाफ नागरिकजन